पत्रांक–12 / प्रशि०–01 / 2011(अंश) 228

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर०के०महाजन, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 13/6/2016

विषय– राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से व्याख्याता की नियुक्ति हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र हस्ताक्षरित करने के संबंध में।

संदर्भ– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक–8 / बि०प्र०–02–02 / 2015–1593 / लो०से०आ० दिनांक–25.05.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 530 व्याख्याता के नव–सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेस–विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है (प्रेस–विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न)।

उक्त पदों के विरूद्व आवेदन करने हेतु अनुभव का आधार, बिहार राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, जिनकी सेवा तीन वर्ष की हो चुकी है, निर्धारित किया गया है। शिक्षक से तात्पर्य "प्राथमिक / मध्य / उच्च / उच्चतर (10+2) स्तर के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित / नियमित नियोजित शिक्षक" से है। शिक्षामित्र एवं अन्य किसी भी प्रकार के शिक्षक इस अधियाचित पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अपने जिले के उक्त कोटि के इच्छुक उम्मीदवार का अनुभव प्रमाण–पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। साथ ही अपने स्तर से निर्गत सभी अनुभव प्रमाण–पत्रों का समुचित रूप से अपने कार्यालय में संधारण भी सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में आवश्यतानुसार इनका सत्यापन कराया जा सके।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

11/6/16

(आर०के०महाजन)
प्रधान सचिव।

अनुभव प्रमाण–पत्र

जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय

जिला का नाम .... प्रमाण–पत्र संख्या– ....

दिनांक– ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति .... विद्यालय का नाम ...., जिला .... में दिनांक .... से दिनांक .... तक नियमित/नियमित नियोजित शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे हैं/वर्त्तमान में कार्यरत है।

प्रधान शिक्षक/ प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर	प्रखण्ड शिक्षा पदा./ जिला कार्यक्रम पदा. (स्था.) का हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर	जिला शिक्षा पदा. का हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

टिप्पणी :– उपरोक्त प्रमाण–पत्र, वर्णित तीनों पदाधिकारियों से हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। प्रमाण–पत्र पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से निर्गत प्रमाण–पत्र संख्या एवं तारीख अंकित रहना अनिवार्य है।

मोड़ सकती है। न्यायाधीश एमबी लोकुर   सुनिश्चित करने का भी कहा। (विस)   पाठ न भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, ... हो ...

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना-800001

सत्यमेव जयते

आवश्यक सूचना

1. **विज्ञापन सं.– 06/2016,** राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याता के नवसृजित कुल 478 (चार सौ अठहत्तर) पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

   (ii) **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>** :– संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।

2. **विज्ञापन सं.– 07/2016,** राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय के व्याख्याता के नवसृजित कुल 26 (छब्बीस) पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

   (ii) **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>** :– स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर (M.P.Ed.) न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।

3. **विज्ञापन सं.– 08/2016,** राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कला एवं शिल्प विषय के व्याख्याता के नवसृजित कुल 26 (छब्बीस) पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

   (ii) **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>** :– चाक्षुष कला (Visual Arts)/प्रदर्श कला (Performing Arts) में स्नातकोत्तर/समकक्ष – न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।

   उपर्युक्त सभी पदों के लिए चयन का आधार, वेतनमान एवं उम्र सीमा निम्नांकित है:–

   (a) **<u>चयन का आधार</u>** :– (i) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार हेतु रिक्ति के 2.5 (ढ़ाई) गुणा उम्मीदवारों को आरक्षण कोटिवार आमंत्रित किया जाएगा। तत्पश्चात् वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंक, अकादमिक अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर अंतिम परीक्षाफल तैयार किया जाएगा।

   (ii) **अनुभव :– बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, जिनकी सेवा 03 वर्ष की हो चुकी है।**

   नोट:–शिक्षक से तात्पर्य "प्राथमिक/मध्य/उच्च/उच्चतर (10+2) स्तर के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित/नियमित नियोजित शिक्षक" से है। शिक्षामित्र एवं अन्य किसी भी प्रकार के शिक्षक इस अधियाचित पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

   (b) वेतनमान :– मूल कोटि 9300–34800, ग्रेड पे–4800 (04 वर्षों के बाद 5400/–)

   (c) **<u>उम्र सीमा</u>** – दिनांक 01.08.2014 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को कुल 04 वर्ष की छूट के साथ राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षकों जिनकी सेवा अवधि तीन वर्षों से कम की न हो तथा पद के लिए निर्धारित अर्हता धारित करते हों, उन्हे अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षों की अतिरिक्त छूट, निम्नांकित विवरणी के अनुरूप अनुमान्य होगी :–

   (क) अनारक्षित वर्ग– 37 + 04 + 05 = 46 वर्ष

   (ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 40 + 04 + 05 = 49 वर्ष

   (ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) – 40 + 04 + 05 = 49 वर्ष

   (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 + 04 + 05 = 51 वर्ष।

   नोट :– विकलांगों को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

4. <u>अंतिम तिथि</u>:

   (i) पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि यह बुधवार, 15 जून, 2016 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

   (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

5. **उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत निर्देश, परीक्षा का पाठ्यक्रम, आवेदन प्रपत्र एवं बैंक चालान आयोग के वेबसाईट** www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

6. **प्रत्येक विज्ञापन विशेष के लिए उस विज्ञापन विशेष का ही निर्धारित विहित आवेदन प्रपत्र एवं उस विज्ञापन के लिए विहित बैंक चालान प्रपत्र मान्य होगा।**

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना